बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0 134/2020

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 के लिए छात्र/छात्रा के डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड समिति के वेबसाईट पर जारी करने एवं त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल खुले रहने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 (सत्र 2020–2021) में सम्मिलित होने हेतु संबंधित विद्यालय प्रधान द्वारा ऑनलाईन माध्यम से भरे गये पंजीयन/अनुमति आवेदन एवं जमा किये गये शुल्क के आधार पर छात्र/छात्राओं का **डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड समिति के वेबसाईट www.biharboard.online पर दिनांक 22.06.2020 से 30.06.2020 तक अपलोड रहेगा।**

2. वर्तमान में यह पाया जा रहा है कि कतिपय विद्यालय प्रधान द्वारा कुछेक छात्र/छात्रा का ऑनलाईन पंजीयन/अनुमति आवेदन तो भरा गया है परन्तु पंजीयन/अनुमति शुल्क अभी तक जमा नहीं किया गया है। ऐसे छात्र/छात्राओं का डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड ऑनलाईन जारी किया जा रहा है परन्तु ऐसे संबंधित विद्यालय के प्रधान **दिनांक 22.06.2020 से 30.06.2020 तक की अवधि** में अनिवार्य रूप से बकाया पंजीयन/अनुमति शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि समिति के उक्त वेबसाईट से डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ विद्यालय के सभी पंजीकृत/अनुमति प्राप्त छात्र/छात्राओं को अविलम्ब प्राप्त करा देंगे। साथ ही छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से यह निदेश देंगे कि डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड का वे भली–भाँति अवलोकन कर यह सुनिश्चित हो लेंगे कि उसमें अब किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रह गई है।

4. यदि किसी छात्र/छात्रा का डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड में नाम, पिता/माता के नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि, जाति, कोटि, लिंग, फोटो, विषय आदि की त्रुटि हो, तो संबंधित छात्र/छात्रा डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड में संशोधन कर हस्ताक्षर के साथ संबंधित त्रुटि के सुधार हेतु **दिनांक 02.07.2020** तक अनिवार्य रूप से अपने विद्यालय प्रधान को हस्तगत् करा देंगे।

5. संबंधित विद्यालय प्रधान अपने विद्यालय के संगत अभिलेखों से त्रुटि का मिलान कर **दिनांक–07.07.2020 तक** अनिवार्य रूप से त्रुटि का ऑनलाईन सुधार करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित छात्र/छात्रा एवं उनके अभिभावक भी सुधार किया गया डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड का अवलोकन कर यह आश्वस्त हो लेंगे कि उनके द्वारा डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड में किया गया त्रुटि का सुधार विद्यालय प्रधान द्वारा कर दिया गया है।

6. उक्त निर्धारित अवधि तक त्रुटि सुधार के पश्चात् छात्र/छात्राओं का अन्तिम पंजीयन/अनुमति कार्ड समिति के वेबसाईट पर जारी किया जाएगा। सभी छात्र/छात्रा का ऑनलाईन परीक्षा आवेदन उसी के आधार पर भरा जाएगा और परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र भी जारी किया जाएगा। **जारी किये गए डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रह जाय इसलिए संबंधित छात्र/छात्रा, अभिभावक एवं विद्यालय प्रधान अपना व्यक्तिगत विशेष ध्यान देकर निर्धारित समय तक ऑनलाईन त्रुटि का सुधार करना सुनिश्चित करें। ऑनलाईन त्रुटि सुधार का उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय प्रधान के साथ–साथ संबंधित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक की भी होगी।**

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)

ResultBharat.com

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या–पी० आर० 135/2020

इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2021 के लिए छात्र/छात्रा के डमी सूचीकरण कार्ड समिति के वेबसाईट पर जारी करने एवं त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल खुले रहने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि आगामी इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2021 (सत्र 2019–2021) में सम्मिलित होने हेतु संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गये सूचीकरण आवेदन एवं जमा किये गये शुल्क के आधार पर छात्र/छात्राओं का डमी सूचीकरण कार्ड समिति के वेबसाइट **http://seniorsecondary.biharboardonline.com पर दिनांक 22.06.2020 से 30.06.2020** तक अपलोड रहेगा।

2. वर्तमान में यह पाया जा रहा है कि कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा कुछेक छात्र/छात्रा का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन तो भरा गया है, परन्तु सूचीकरण शुल्क अभी तक जमा नहीं किया गया है। ऐसे छात्र/छात्राओं का डमी सूचीकरण कार्ड ऑनलाइन जारी किया जा रहा है, परन्तु ऐसे संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि **दिनांक 22.06.2020 से 30.06.2020 तक** की अवधि में अनिवार्य रूप से बकाया सूचीकरण शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि समिति के उक्त वेबसाइट से डमी सूचीकरण कार्ड डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ विद्यालय के सभी सूचीकृत प्राप्त छात्र/छात्राओं को अविलम्ब प्राप्त करा देंगे। साथ ही छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से यह निदेश देंगे कि डमी सूचीकरण कार्ड का वे भली–भाँति अवलोकन कर यह सुनिश्चित हो लेंगे कि उसमें अब किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रह गई है।

4. यदि किसी छात्र/छात्रा का डमी सूचीकरण कार्ड में नाम, पिता/माता के नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि, जाति, कोटि, लिंग, फोटो, विषय आदि की त्रुटि हो, तो संबंधित छात्र/छात्रा डमी सूचीकरण कार्ड में संशोधन कर हस्ताक्षर के साथ संबंधित त्रुटि के सुधार हेतु **दिनांक 02.07.2020 तक** अनिवार्य रूप से अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान को हस्तगत् करा देंगे।

5. संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने संस्थान में छात्र/छात्राओं का रक्षित संगत अभिलेखों से मिलान कर **दिनांक–07.07.2020 तक** अनिवार्य रूप से त्रुटि का ऑनलाइन सुधार करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित छात्र/छात्रा एवं उनके अभिभावक भी सुधार किया गया डमी सूचीकरण कार्ड का अवलोकन कर यह आश्वस्त हो लेंगे कि त्रुटि का सुधार डमी सूचीकरण कार्ड में शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा कर दिया गया है।

6. उक्त निर्धारित अवधि तक त्रुटि सुधार के पश्चात् छात्र/छात्राओं का अन्तिम सूचीकरण कार्ड समिति के वेबसाईट पर जारी किया जाएगा। सभी छात्र/छात्रा का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन उसी के आधार पर भरा जाएगा और परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र भी जारी किया जाएगा। **जारी किये गए डमी सूचीकरण कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रह जाय इसलिए संबंधित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देकर निर्धारित समय तक ऑनलाइन त्रुटि का सुधार कराना/करना सुनिश्चित करेंगे।** ऑनलाइन त्रुटि सुधार का उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के साथ–साथ छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक की भी होगी।

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)

ResultBharat.com